Dr. Purnima Singh
Department of Political Science
B.A part. II paper-III Indian Government and politics. I.A. 1st year paper-I Indian Govt. and politics.
Topic - Federalism - 3 Lecture - 57

Federalism - 3

संघात्मक सरकार क्या होती है? डॉ० गार्नर के अनुसार, "संघ एक शासन प्रणाली है, जिसमें केन्द्र तथा स्थानीय सरकारें एक ही शक्ति के अधीन होती है। ये सरकारें अपने-अपने क्षेत्र में, जिनको संविधान अथवा संसद के कानून निश्चित करते हैं, सर्वोच्च होती है।"

इसका अभिप्राय यह है कि संघात्मक शासन प्रणाली में केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त स्वाधीन प्रान्तीय सरकारें भी होती है तथा संविधान द्वारा केन्द्र तथा प्रान्तों में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। प्रान्तीय सरकारें अपने निश्चित क्षेत्र में स्वतन्त्र होती है तथा केन्द्रीय सरकारें उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। प्रान्तों का अस्तित्व केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं होता, अपितु लिखित संविधान द्वारा उनका निर्माण किया जाता है।

भारत में संघीय व्यवस्था अपनाने के कारण
(Causes for the Adoption of Federal system in India.

1. देश की विशालता एवं विविधता (vastness and Diversity of India) - भारत में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाने का मुख्य कारण इसकी विशालता और विविधता है। अतः इस विविधता को बनाए रखने और कुशल शासन

के लिए संघात्मक शासन प्रणाली अपनाया जाना अनिवार्य था।

2. ऐतिहासिक आधार (Historical Basis) - अपने इतिहास के लम्बे दौर में भारत एक सूत्र के रूप में जुड़ा रहते हुए भी राजनीतिक रूप से अपने सभी क्षेत्रों को स्वायत्तता का उपभोग करने की छूट देता रहा है। इसी ऐतिहासिक आधार पर 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ने भारत में संघीय शासन स्थापित करने की मांग की थी। इसी दौरान साइमन आयोग (Simon Commission) द्वारा दी गई अपनी रिपोर्ट में भी संघीय व्यवस्था अपनाए जाने का सुझाव दिया गया था। जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार कर लिया गया था।

3. देशी रियासतों की मौजूदगी (presence of Indian native states) - भारतीय स्वतन्त्रता कानून 1947 (Indian Independence Act, 1947) के लागू होने के समय भारत में 563 देशी रियासतें थी। इस कानून ने उन्हें पूरी तरह स्वतन्त्र कर दिया था। उस समय उन्हें यह भी अधिकार प्राप्त था कि वे भारत या पाकिस्तान में से किसी एक राज्य में शामिल हो जाएं या फिर स्वतन्त्र रहें। इन हालात में इन बड़ी संख्या की देशी रियासतें भारत में तभी शामिल हो सकती थी जबकि देश में संघीय शासन स्थापित करके उन्हें स्वायत्तता का वचन दिया जाता। अतः भारत में संघीय व्यवस्था अपनाना अनिवार्य हो गया था।

4. स्वाधीनता संघर्ष की विरासत (Framing Constituent Assembly):-

स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय संघर्ष का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस संस्था शुरू से ही संघीय व्यवस्था की समर्थक रही थी। उसका अपना संगठनात्मक ढाँचा इसी आधार पर था और राष्ट्रीय संघर्ष के लम्बे दौर में वह देशवासियों को भारत में संघ शासन कायम करने का स्पष्ट आश्वासन दे चुकी थी। अतः संघ शासन अपनाना जरूरी था।

5. संविधान सभा का स्वरूप (Form of Constituent Assembly) — आजादी मिलने से पहले 1946 में जो गठित संविधान सभा का आधार भी संघवाद था क्योंकि उसमें प्रान्तों के प्रतिनिधि वहाँ की विधानसभाओं द्वारा साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर चुने गए थे और देशी रियासतों के अधिकतर प्रतिनिधियों को उनके शासकों ने नामजद किया था। अतः इन परिस्थितियों में संघीय व्यवस्था अपनाया जाना स्वाभाविक था।

भारतीय संविधान के संघात्मक तत्व
(Federal Elements of the Indian Constitution)

भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। फिर भी कुछ लेखकों का मत है कि भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है इसलिए यह संघात्मक संविधान है।

श्री सन्थानम् के अनुसार, "भारत के संघात्मक राज्य होने में कोई सन्देह नहीं है।" भारतीय संघात्मक सरकार की इन परिभाषाओं तथा अर्थ के आधार पर कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

1. दोहरी शासन प्रणाली - (Dual Polity) - दोहरी शासन प्रणाली भारतीय संविधान द्वारा दोहरी शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत राज्यों का समूह है

२. शक्तियों का विभाजन (Division of power) केन्द्र तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया है — (1) संघ सूची (Union List) - 97
(2) राज्य सूची (State List) - 66 (3) समवर्ती सूची (Concurrent List) - 47.
उपरोक्त सूचियों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया है। केन्द्रीय सूची में राष्ट्रीय महत्त्व वाले विषय दिए गए हैं, जबकि राज्य सूची में स्थानीय विषय दिए गए हैं। समवर्ती सूची में ऐसे विषय अंकित हैं जिनके सम्बन्ध में एक से अधिक प्रान्तों से एकरूपता हो सकती है, इस सूची में व्यापार, खनिज, विवाह और तलाक, कारखाने, बिजली, दंड विधान, श्रम कल्याण आदि से जुड़े विषय भी अंकित हैं।

3- लिखित संविधान (written constitution) - संघीय राज्य में अलिखित संविधान कुशल संचालन की स्थापना नहीं कर सकता, क्योंकि संघात्मक राज्य में केन्द्र तथा राज्यों की शक्तियों का विस्तृत एवं लिखित रूप से वर्णन होना अनिवार्य है। ऐसा करने से ही केन्द्र तथा राज्यों के परस्पर विवादों को संविधान के अनुसार सुगमता से निपटाया जा सकता है। भारतीय संविधान, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस आदि देशों के संविधान की तरह लिखित संविधान है।